छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

जनवरी, 2019 सत्र

सोमवार, दिनांक 7 जनवरी, 2019 को

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण पर

श्री अमरजीत भगत, सदस्य द्वारा

दिनांक 7 जनवरी, 2019 को प्रस्तुत

कृतज्ञता–ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों के संशोधन प्राप्त हुए हैं उन सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं:–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
9. श्री अजीत जोगी, सदस्य
10. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
11. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
12. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
13. श्री भीमा मंडावी, सदस्य
14. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
15. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
16. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
17. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
18. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
19. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
20. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
21. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

इस संकलन में माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में उपर्युक्त माननीय सदस्यों के ग्राह्य संशोधनों की सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया है। कुछ संशोधनों में आंशिक रूप से सुधार किया गया है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष,

किन्तु खेद है कि –

1 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा की नगरपंचायत सरगांव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

2 विधानसभा क्षेत्र की बिल्हा नगर पंचायत सिरगिट्टी में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

3 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा की नगर पंचायत तिफरा में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

4 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा की नगर पंचायत बोडरी में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।

5 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा की नगर पंचायत बिल्हा में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था पूर्ण हुए जाने का उल्लेख नहीं है ।

6 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम बरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

7 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम बदरा में 33/11 सब स्टेशन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के दगोरी में 33/11 सब स्टेशन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

9 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम धमनी में हाई स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।

10 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम बरतोरी में मार्ग से उमरिया सड़क निर्माण मार्ग का उल्लेख नहीं है।

11 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम फदडा से वारधा मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

12 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम मचन्दा से लमती सड़क मार्ग का उल्लेख नहीं है ।

13 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम ग्राम दिन्छापुर में हायर सेकेण्डरी उन्नयन उल्त्लेख नहीं है।

14 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम कुडार में सड़क मार्ग का उल्लेख नहीं है ।

15 विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के ग्राम बोडारडीह में सड़क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1 किसानों के कर्ज माफ में अल्पकालीन, मध्यम एवं दीर्घकालीन कर्ज माफ करने का उल्लेख नहीं है।

2 कृषक हेतु पेंशन योजना का प्रस्ताव जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

3 मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में अधूरे निर्माण कार्य पूरा करने का प्रस्ताव जोडने का उल्लेख नहीं है।

4 बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान जोड़ा जाए ।

5 खाद्य सुरक्षा में 35 किलो चावल सभी परिवार में देने का उल्लेख नहीं है ।

6 पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव जोड़ा जाए ।

7 किसानों को 2 साल के बोनस का प्रावधान जोड़ा जाए ।

8 नक्सलवाद की स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है ।

9 लावारिस मवेशियों के लिए वार्ड गौशालाएं हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

10 सर्व विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत सभी विधवा महिलाओं का 1000 प्रतिमाह पेंशन जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

11 सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष के अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपया प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

12 प्रदेश के 10 लाख बेरोजगार युवकों को न्यूनतम 2500 रूपया देने का प्रावधान जोड़ा जाए ।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. लोकपाल अधिनियम में मुख्यमंत्री/मंत्री एवं अधिकारियों को लाने व लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1 करोड़ रूपये देने का कोई उल्लेख नहीं है।
3. पर्यटन को उद्योग का स्वरूप देने का कोई उल्लेख नहीं है।
4. पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान देने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर पहुंचाकर देने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्तिकर पूर्णतः समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. कॉलेज एवं स्कूल छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
8. रायपुर शहर के हृदय स्थल शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
9. शासकीय कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय वेतनमान लागू करने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।
10. सर्व वृद्धा पेंशन योजना का उल्लेख नहीं है।
11. मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
12. फूड पार्क स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
13. चिटफंड कम्पनी में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसा वापसी के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।
14. कक्षा 9 वीं में जाने वाले सभी छात्र–छात्राओं को मुफ्त सायकल देने का उल्लेख नहीं है।
15. महिला स्व–सहायता समूहों का कर्ज माफ का उल्लेख नहीं है।
16. कृषि सिंचित क्षेत्र को दुगुना करने कोई उल्लेख नहीं है।
17. बिजली बिल आधा करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
18. प्रत्येक परिवार को 35 किलो चांवल एक रूपये की दर से देने का कोई उल्लेख नहीं है।
19. बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
20. राज्य में शराब के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का कोई उल्लेख नहीं है।
21. दो वर्ष के धान बोनस के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

22. मक्का, सोयाबीन, गन्ना, चना के घोषित समर्थन मूल्य का कोई उल्लेख नहीं है।
23. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आवास के अधिकार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
24. अनियमित, संविदा एवं दे.वे.भो. कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितिकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
25. शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
26. सर्व विधवा पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
27. कृषि उपज मंडी के आधुनिकीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
28. खुले घूम रहे पशुओं से कृषि को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।
29. धान खरीदी पर 300 बोनस का कोई कोई उल्लेख नहीं है।
30. पशुधन विकास हेतु सुरक्षित कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
31. राज्य में सभी हॉस्पीटल में आधुनिक उपकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
32. सिकल सेल बीमारी की कोई कार्य योजना नहीं है।
33. लावारिस मवेशियों को सुरक्षित एवं सुख सुविधा हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
34. हाथियों के किये हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिए जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
35. हाथियों द्वारा आमजनों को नुकसान पहुँचाया जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
36. वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
37. वृक्षारोपण हेतु स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
38. वनों की अवैध कटाई हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
39. पूर्ण शराब बंदी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
40. अवैध खनन रोके जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
41. अवैध शराब विक्रय को रोके जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
42. महुआ, तेन्दूपत्ता बिनने वाले व्यक्तियों के संबंध में स्पष्ट कार्य योजना नहीं है!
43. आदिवासी आधुनिक छात्रावास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
44. नदियों के स्टाप डेम निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
45. स्कूल शिक्षा हेतु नीतियों का उल्लेख नहीं है।
46. प्रदेश के नवीन सड़कों के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
47. ग्रामोउद्योग के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।
48. लघु उद्योग को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
49. श्रमिकों के लिए कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

50. दो फसलीय कृषि फसलों को उपज हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
51. शासकीय कर्मचारियों हेतु गृह भाड़ा भत्ता देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
52. शासकीय कर्मचारियों की एल.टी.सी. संबंध हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
53. शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।
54. धार्मिक नगरी को विकसित करने हेतु कोई कार्य योजना नहीं है।
55. पुरातत्व धरोहर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
56. पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
57. जेलों की व्यवस्था सुधारे जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
58. स्वच्छ पेयजल योजना हेतु कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।
59. खेलों की उचित सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
60. प्रदेश में बोर खनन का कोई उल्लेख नहीं है।
61. प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
62. प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधा हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
63. पुलिस व्यवस्था दुरूस्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. रोजगार देने एवं उद्यमी बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण फसल नष्ट होने के कारण अकाल स्थिति है चुनाव समय होने के कारण ठीक से फसल की जांच का उल्लेख नहीं है।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में असफलता के कारण गरीब लोगों को चांवल नहीं मिल पा रहा है, जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
4. जीवनोपयोगी वस्तु के दाम में वृद्वि को रोकने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1. पिछड़े वर्ग के आरक्षण बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
2. विकास के लिए आबंटित राशि को वापस मंगाये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
3. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण की कोई बात नहीं कही गई है ।
4. नक्सली नीति के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है ।
5. रबी फसल के पानी देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।
6. शिक्षा गुणवत्ता के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है ।
7. प्रदेश की उच्च शिक्षा तकनीकी के बारे में कोई बात नहीं है ।
8. प्रदेश में नये रोजगार के सृजन पर कोई बात नहीं की गयी है ।
9. मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालिक ऋण की माफी पर कोई बात नहीं की गयी है ।
10. शराबबंदी पर कोई बात नहीं की गयी है ।
11. तथाकथित जनघोषणा पत्र के अन्य बिन्दुओं पर कोई बात नहीं की गयी है ।
12. सिंचाई विस्तार के लिए कोई बात नहीं की गयी है ।
13. कृषि पर कोई बात नहीं कही गयी है ।
14. युवक कल्याण के लिए कोई बात नहीं की गयी है ।
15. संपूर्ण ऋण माफी पर कोई बात नहीं की गयी है ।
16. बेरोजगारी भत्ता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।
17. बिजली बिल माफी पर कोई बात नहीं की गयी है ।
18. कानून व्यवस्था पर कोई उल्लेख नहीं है ।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1 किसानों को 2 वर्ष का बोनस देने की बात कही गयी थी किन्तु अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।

2 घर पहुंच सरकारी सेवाओं को उल्लेखित करें ।

3 संपत्ति कर में राहत के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

4 जन घोषणा पत्र में कृषि फसलों का न्यूनतम मूल्य पर खरीदी की बात कहीं गई है कृषि फसलों का न्यूनतम मूल्य पर खरीदी प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

5 घोषणा पत्र में 2500/– रू. बेरोजगारी भत्ते की बात कही गयी थी जिसका अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।

6 जनघोषणा पत्र में कचरा मुक्त शहर बनाने में कोई उल्लेख नहीं है।

7 गजराज योजना का उल्लेख नहीं है ।

8 महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार तथा क्रियान्वयन के संबंध में कोई नीति नहीं है।

9 वर्तमान छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र को दुगना करने की बात जनघोषणा पत्र में है जिसको अभिभाषण में कोई स्थान नहीं दिया गया ।

10 प्रत्येक ब्लॉक (विकासखण्ड) में फूड पार्क की स्थापना की जावे जैसा कि घोषणा में उल्लेखित है ।

11 लोकपाल बिल के बारे में कोई उल्लेख नहीं लोकपाल की नीति का उल्लेख नहीं है।

12 महिला तथा बच्चों और बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

13 विद्यार्थियों के परिवहन सेवा के संबंध में नवाचार की कोई उल्लेख नहीं ।

14 जनघोषणा पत्र में कही गयी सभी प्रकार के शासकीय कर्मचारियों के सम्मान की बात का उल्लेख नहीं है।

15 महिला स्व–सहायता समूहों के सशक्तिकरण तथा उनके द्वारा लिये गये लोन की माफी का कार्य होना चाहिये ।

16 वन अधिकारों के पालन का कोई उल्लेख नहीं वन अधिकारों का पालन हो ।

17 ग्रामीण और शहरी आवास की कोई उल्लेख नहीं ग्रामीण तथा शहरी आवास की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

18 प्रदेश में वृद्धा पेंशन तथा अन्य पेंशन योजना में वृद्धि की बात का कोई उल्लेख नहीं है।

19 जनघोषणा पत्र में किसानों के पूर्ण कर्जा माफी की बात थी किंतु अभिभाषण में अल्पकालीन ऋण का उल्लेख है किसानों की पूर्ण कर्जा माफी होनी चाहिये ।

20 प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।

21 प्रदेश में बिजली का बिल आधा करने का कोई उल्लेख नही ।

22 प्रदेश में घर–घर रोजगार का कोई उल्लेख नहीं ।

23 प्रत्येक जनता के पूर्ण स्वास्थ्य का अधिकार का उल्लेख नहीं है।

24 प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय अंतर्गत पंजीकृत योग्य व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

25 प्रदेश में पूर्ण शिक्षा का अधिकार कानून अंतर्गत शिक्षा सभी वर्गों पर लागू करने का उल्लेख नहीं है।

26 पुलिस कल्याण योजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

27 पर्यटन को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है ।

28 इंटरजेक्शन इक्विटी पर स्पष्टता उल्लेख नहीं है।

29 प्रदेश के दिव्यांगों का सम्मान करने का उल्लेख नहीं है।

30 विद्यार्थियों को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

31 आउट सोर्सिंग बंद करने का उल्लेख नहीं है।

32 वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

33 विशेष सुरक्षा कानून के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

34 राजस्व रिकॉर्ड में छोटे बड़े जमीन के टुकड़ों का आधुनिकता के तौर पर नक्शा मुहैया में दुरूस्तीकरण का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. ग्राम खैरा (महंत) विकासखण्ड नवागढ़ में भाटापारा मुहल्ला जाने हेतु पुल निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
2. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के ग्राम कांसा में नये हाईस्कूल व ग्राम भड़ेसर में नये हायर सेकेण्डरी के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
3. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के ग्राम रोगदा,ग्राम भड़ेसर व ग्राम खोखसा में नये धान खरीदी केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
4. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के विकासखण्ड मुख्यालय नवागढ़ में अनुविभागीय मुख्यालय व आई.टी. आई. खोलने का उल्लेख नहीं है।
5. जांजगीर नगर व चांपा नगर के निर्माणरत बाईपास सड़क के शीघ्र निर्माण कर उसे समयसीमा पर पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।
6. चांपा नगर के हसदो नदी में नया पुल निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
7. जांजगीर–चांपा जिले के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. जांजगीर–चांपा क्षेत्र में खेरसा रेल्वे ओवरब्रीज व चांपा में बिर्रा रेल्वे फाटक में बनने वाले ओवरब्रीज को शीघ्र पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।
9. नैला–बलौदा मार्ग पर रेल्वे क्षेत्र के सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
10. जांजगीर–चांपा जिले के जिला मुख्यालय जांजगीर के कलेक्टर कार्यालय में कम्पोजींग बिल्डिंग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
11. प्रदेश में शराबबंदी का कोई उल्लेख नहीं है।
12. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के नहरों में रबी फसल हेतु पानी देने व रबी फसल के धान को समर्थन मूल्य में खरीदे जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
13. जांजगीर–नगर व चांपा नगर के बीच फोरलेन सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।
14. जांजगीर–चांपा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिये विश्राम गृह, शेड व अन्य सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
15. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के ग्राम जगमहंत से ग्राम भैसमुड़ी जाने वाली सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

16. जांजगीर–चांपा जिले के जांजगीर नगर, चांपा नगर व नवागढ़ के स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवा सुधार व डाक्टरों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

17. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम हरदी से ग्राम हड़हामुहान तक नवीन सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

18. जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के पिछड़े ग्राम पर्थरा में पीने के पानी हेतु नल जल योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

19. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के विकासखण्ड मुख्यालय नवागढ़ से ग्राम किरीत तक नहर के उपर आवागमन हेतु सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

20. जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के नवागढ़ विकासखण्ड के ग्राम घुठिया से ग्राम अमोरा के बीच स्थित बोरवा नाला में पुल व सड़क निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

21. जांजगीर–चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम महंत से ग्राम खैरा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

22. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम घुठिया से ग्राम सेंदरी तक नवीन सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

23. जांजगीर–चांपा विधान सीाा क्षेत्र के ग्राम खोखसा से ग्राम बसंतपुर के मध्य सड़क व पुल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

24. जांजगीर–चांपा क्षेत्र के चांपा नगर के मुख्य मार्ग मेनरोड, बेरियर चौक से अग्रसेन चौक कोरबा रोड चांपा में नवीन सड़क निर्माण व रोड डिवाइडर निर्माण किये जाने का कार्य षीघ्र प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1 बिलासपुर जिले के मस्तूरी वि. खण्ड की बिजली खम्भा व तार के मेंन्टेंनेंश हेतु उल्लेख नहीं है ।

2 बिलासपुर जिले के मस्तूरी वि. खण्ड में नई ग्राम पंचायत खपरी ग्राम, तेदवा, हरदी, लोरहाबोड़ का निर्माण कार्य जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

3 लिलागर नदी में एनीकट बनाने व ग्राम उनी वि.ख. मस्तूरी जिला –बिलासपुर में कृषि कार्य विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।

4 ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत लोहसि, विकासखण्ड–मस्तूरी जिला–बिलासपुर में नया कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

5 बिलासपुर जिले के सबसे बड़े ब्लॉक मस्तूरी में के सीपत को नया ब्लॉक बनाने का उल्लेख नहीं है।

6 विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर की दस हजार जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत देवरीखुर्द, गतौरा, लोहसी को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है ।

7 विकासखण्ड–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर के ग्राम– लिमतरा से दर्रीघाट, ग्राम– जोरवा से मस्तूरी मेनरोड, ग्राम आमगांव से भटचौरा रोड के गांवों को रोड से जोड़ने हेतु उल्लेख नही है ।

9. श्री अजीत जोगी, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1 छत्तीसगढ़ में बढ़ रही मानव तस्करी को रोकने का उल्लेख नहीं है।

2 मनरेगा के कार्यो का सोशल ऑडिट करवाए जाने और ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3 मनरेगा की बकाया राशि का भुगतान और एक तय सीमा में आगामी कार्यो की मजदूरी भुगतान का उल्लेख नहीं है।

4 प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्ययोजना नहीं है ।

5 प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्ययोजना नहीं है।

6 प्रदेश में शासकीय अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की भारी कमी है ।इस कमी की पूर्ति के लिए शासन की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7 किसानों को फसल बीमा के तहत उचित मुआवजा दिए जाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा देने और इन केन्द्रों का एन.ए.बी.एच.से अक्क्रेडिटशन करवाने का उल्लेख नहीं है ।

9 प्रदेश में छोटे विमानतलों को निश्चित समय सीमा के अंदर विकसित करने और छोटे शहरों के बीच विमान सेवा शुरू करवाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

10 मंदी की मार झेल रहे उद्योगों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

11 प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

12 दौरान विभिन्न टेप काण्डों के द्वारा प्रदेश की छबि धूमिल हुई है ।ऐसे टेप काण्डों की एक तय सीमा में जांच का उल्लेख नहीं है।

13 बस्तर की जीवनदायनी इन्द्रावती नदी के जलस्तर में हो रही कमी को रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

14 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित लोगों को शत–प्रतिशत रोजगार अथवा स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

15 अटल नगर, रायपुर में उच्च गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

16 अटल नगर, रायपुर में जनसंख्या को बसाने के लिये वहां लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

17 पोलावरम बांध से प्रभावित सुकमा और कोंटा के गांवों के लोगों पर ।छाए अस्तित्व के संकट को देखते हुए बांध के निर्माण पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है ।

18 शासकीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को नौकरी में शत–प्रतिशत आरक्षण और निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 90 प्रतिशत आरक्षण देने का उल्लेख नहीं हैं ।

19 निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कड़ाई से पालन किये जाने की कार्ययोजना नहीं है ।

20 स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा को अनिवार्य बनाये जाने का उल्लेख नहीं है ।

21 संविधान की 8 वीं अनुसूची में स्थान दिलाने और राजभाषा बनाये जाने का उल्लेख अभिभाषण में नहीं है ।

22 मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी को मिलाकर नया जिला बनाने के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है ।

23 मरवाही–पेण्ड्रा–गौरेला को मिलाकर नया जिला बनाने का उल्लेख नहीं है ।

24 प्रदेश के 25 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है ।

25 किसानों की कर्ज माफी के विषय में अभिभाषण में केवल अल्पकालीन ऋण की काफी का ही उल्लेख है । जबकि कमर्शियल बैंकों और साहूकारों से लिये गये ऋण के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

26 प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी के विषय में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

10. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य

किन्तु खेद है कि–

1. छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
2. पकरिया ग्राम पंचायत में पशु प्रजनन केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु आने वाले चिकित्सकों के लिए छात्रावास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
3. ग्राम पंचायत लालपुर (गौरेला) शासकीय हॉर्टिकल्चर नर्सरी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
4. रतनपुर में मुक्तिधाम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
5. कोटा एवं रतनपुर नगर पंचायत में जल आवर्धन योजना का उल्लेख नहीं है।
6. ग्राम पंचायत खरगहनी एनीकट में पानी नहीं रूकता उस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
7. बेलगहना को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।
8. कोटा एवं मरवाही में आदिवासी छात्रावासों और शासकीय अस्पतालों में मलेरिया से बचने के लिए नई मच्छरदानियां उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. आदिवासी छात्रावासों में विशेषकर अमरकंटक के पास सवाडबरा, आमाडोब, कुरदर बैगा ग्राम पंचायत में अतिरिक्त कम्बल, स्वेटर, गर्म कोट देने का उल्लेख नहीं है।
10. अरपा नदी में आमामूड़ा डायवर्सन योजना से बरर ग्राम पंचायत, रतखंडी ग्राम पंचायत में दस वर्ष बाद भी सिंचाई नहीं हो रही है, जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
11. कोटा के समी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. को पदस्थ कर उन्हें प्रारंभ किया जाय ।
12. अरपा भैसाझार बराज की नहरों/ एवं बराज का निर्माण युद्वस्तर पर कर सिंचाई का लाभ किसानों को मिले ।
13. कुरदर, सरगोड़, उमरिया बैगा ग्राम पंचायत में विद्युतिकरण कराया जाना अति आवश्यक है ।
14. जिला मुख्यालय बिलासपुर से 175 कि.मी. दूर होने के कारण पेन्ड्रारोड–पेन्ड्रा–मरवाही विकास खंड को नया जिला बनाना अति आवश्यक है। नया जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।
15. मुख्य मार्ग से बैगा ग्राम झालापारा (ग्रा.पं.घूमा) विकासखंड–कोटा में पक्की सड़क नहीं है ।
16. ग्राम पंचायत सिरसहा, खरगा कोटा विकासखंड (अ.जा. बाहुल्य 100 प्रतिशत) में डामरीकृत पक्की सड़क नहीं है ।

17. कोटा मरवाही विधानसभा (आरक्षित अ.जा.जाति) के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को शासकीय छूट एवं प्रोत्साहन राशि बन्द कर दी गई है ।

18. वनों की अवैध कटाई के लिए ठोस नियम बनाने एवं वनों के संरक्षण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

19. प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गारंटी समाप्त सड़कों के मरम्मत एवं विनिर्माण का कोई उल्लेख नहीं है ।

20. कोटा तथा मरवाही विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

21. दाल, दलहन, तिलहन एवं उद्यानिकी फसलों के रकबे के वृद्धि किये जाने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

22. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

23. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

24. प्रदेश में खुले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के संबंध में उल्लेख नहीं है ।

25. प्रदेश के सभी शहरों की समस्या विकराल होती जा रही है जिस पर रोकथाम के उपायों के संबंध में कार्ययोजना का उल्लेख नहीं किया गया है ।

26. शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नंहीं किया गया है । स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने के बजाय शिक्षा कर्मियों से काम चलाया जा रहा है ।

27. दूषित पोयजल के कारण राजधानी में पीलिया जैसी बीमारी फैल रही है जिसके रोकथाम को रोकने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।

28. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित छात्रावासों की हालत शर्मनाक है । छात्रावास के साथ आश्रम छात्रावासों में बालात्कार की घटनाओं में लगातार वृद्धि को रोकने के उपाय के संबंध कोई उल्लेख नहीं है ।

11. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में स्थित पॉवर प्लांटों के द्वारा उत्सर्जित राखड़ (ऐश) के कारण आम लोगों को होने वाली बीमारियों एवं पर्यावरण की रक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के लोगों को 35 किलो चांवल प्रतिमाह प्रति परिवार देने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश के नक्सल समस्या से निपटने शासन की नीति का उल्लेख नहीं है।
4. लोरमी में 100 बिस्तर अस्पताल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश के बेरोजगार युवकों (शिक्षित युवकों) को भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
6. अचानकमार टाइगर रिजर्व से गांवों के प्रस्तावित विस्थापन का विस्तृत का उल्लेख नहीं है।
7. वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु कारगर प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
8. लोरमी में शक्कर कारखाना स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।
9. बिलासपुर स्थित सी आई. एम. एस. (सिम्स) मेडिकल कालेज की अव्यवस्था को सुधारने का उल्लेख नहीं है।
10. बिलासपुर शहर को विमान सेवा से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
11. कृषकों को फसलबीमा योजना के अंतर्गत पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में कर्जमाफी की घोषणा में राष्ट्रीयकृत एवं अन्य कर्जमाफी की घोषणा में राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंकों में किसानों के ऋण को माफ करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।
14. प्रदेश के निर्माणाधीन सीवरेज परियोजना के बाबत शासन का निर्णय इस योजना को बंद करेगें या चालू रखने का उल्लेख नहीं है।
15. प्रदेश के वनांचल क्षेत्र के वनवासियों को वन अधिकार पट्टा के अंतर्गत पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
16. प्रदेश के आम आदमी, कृषकों के विद्युत बिल को हाफ करने का उल्लेख नहीं है।
17. रायपुर–बिलासपुर नेशनल हाईवे के पूर्ण निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
18. प्रदेश के कृषकों को 2 वर्षों का धान का बोनस 300 रूपये प्रति क्विंटल देने का उल्लेख नहीं है।
19. हाथी अभ्यारण बनाने का उल्लेख नहीं है।

20. छत्तीसगढ़ शासन एवं रेल्वे के मध्य हुये एम.ओ.यू. के अंतर्गत बिलासपुर– तखतपुर– लोरमी–पंडरिया होकर डोंगरगढ़ तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का उल्लेख नहीं है।
21. प्रदेश के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के लंबित भुगतान का उल्लेख नहीं है।
22. छत्तीसगढ़ प्रदेश में शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता एवं उसके जांच पश्चात् कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश में पेयजल की गंभीर समस्या के निराकण का उल्लेख नहीं हैं।
24. अरपा प्रोजेक्ट बिलासपुर के बाबत शासन की नीति का उल्लेख नहीं है।
25. प्रदेश में लोकपाल बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
26. फर्जी जाति प्रमाणपत्र धारियों के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
27. डीजल–पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रित करने वेट टेक्स में छूट देने का उल्लेख नहीं है।
28. धान खरीदी केन्द्रों को सुलभ करने कृषकों को सुविधा देने उप केन्द्रों को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
29. मरवाही–पेन्ड्रा–गौरेला को मिलाकर नया जिला बनाने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1. निराश्रितों को पेंशन बढ़ोतरी हेतु कोई स्पष्ट का उल्लेख नहीं है ।
2. आयुष्मान योजना के उचित क्रियान्वयन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
3. वैशालीनगर विधानसभा में कानून व्यवस्था के सुधार हेतु कोई कार्य योजना नहीं है ।
4. वैशालीनगर विधानसभा में विकास कार्यों हेतु कोई उल्लेख नहीं है ।
5. नए रोजगारों के सृजन का कोई कार्य योजना नहीं है ।
6. बेरोजगारी भत्ते का कोई जिक्र नहीं है ।
7. पूर्ण शराबबंदी का कोई उल्लेख नहीं है ।
8. बिजली बिल हाफ के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।
9. विधानसभा वैशालीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की पदस्थी का कोई उल्लेख नहीं है ।

13. श्री भीमा मंडावी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

बस्तर के विकास के बारे में उल्लेख नहीं है।

14. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश से रोजगार हेतु पलायन कर रहे मजदूरों को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
3. धान खरीदी में प्रति एकड़ 15 क्विंटल से अधिक खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।
4. अल्पकालीन ऋण के अतिरिक्त मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण माफ करने का उल्लेख नहीं है।
5. राष्ट्रीयकृत बैंक एवं अन्य बैंक से किसानों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी का उल्लेख नहीं है।
7. बेरोजगारों को रोजगार देने एवं पेंशन देने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
8. अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

15. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश के सबसे दर्दनाक विषय नक्सलवाद पर कोई स्पष्ट नीतियों का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के वनवासी अंचल में जंगली हाथी के आतंक से मृतक व्यक्तियों के लिए दुर्घटना राशि का उल्लेख नहीं है।
3. ग्राम पटेल एवं कोटवारों की मासिक राशि को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
4. शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पूर्ण नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण पलायन की स्थिति का उल्लेख नहीं है।
6. राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के अल्पकालीन ऋण तथा के. सी.सी एवं के.जी.सी. कर्ज माफ करने का उल्लेख नहीं है।
7. सहकारी बैंकों की ऋण माफी के द्वारा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश के कृषकों का 3 वर्ष का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
9. चना की प्रोत्साहन योलना को जारी रखने का उल्लेख नहीं है।
10. आम नागरिकों का विद्युत बिल आधा करने का उल्लेख नहीं है।
11. पूर्व की सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त योजना के तहत रेल्वे लाईन बिछाने जमीन अधिग्रहण एवं रेल कारीडोर को स्थापित करने उल्लेख नहीं है।
12. कर्जमाफी योजना में सोयाबीन, फल एवं सब्जी की खेती करने वाले कृषकों को लाभ देने का उल्लेख नहीं है।
13. नवंबर–दिसम्बर में अत्याधिक वर्षा से खरीफ की चना एवं सब्जी फसल को नुकसान को राहत पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री सौरभ सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में निराश्रित पेंशन को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के किसानों की रबी फसल के धान को खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।
5. जांजगीर–चांपा जिले में असींचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
6. जिला जांजगीर–चांपा के बलौदा में व्यवहार न्यायालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
7. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के कापन में शक्कर कारखाना खोलने का उल्लेख नहीं है।
8. जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम नरीयरा में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
9. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम पहरीया में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
10. प्रदेश में अकलतरा एवं माढ़र स्थित सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के बंद संयंत्रों को पुनः चालू करने का उल्लेख नहीं है।
11. राज्य दूध संघ में किसानों के लंबित भुगतान का उल्लेख नहीं है।
12. अकलतरा नगर में पेयजल समस्या के निदान का उल्लेख नहीं है।
13. जांजगीर–चांपा जिले में उद्योगों द्वारा अधिग्रहित भूमि को वापस करने का उल्लेख नहीं है।
14. जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम पिपरसती से लीलागर नदी के पुल तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
15. जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम मुड़पार से राष्ट्रीय राज्यमार्ग तक सड़क निर्माण किए जाने का उल्लेख नही हैं।
16. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम कापन से परसदा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

17. जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम अर्जुनी में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
18. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखंड में ग्राम डोंगरी में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
19. जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में ग्राम नगवां में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
20. जांजगीर–चांपा जिले के ग्राम पंडरीया में हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन किए जाने का उल्लेख नहीं है।
21. जांजगीर–चांपा जिले में ग्राम गतवा में हाईस्कूल भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
22. प्रदेश में हाथियों के उत्पात से हुए नुकसान की भरपाई का उल्लेख नहीं है।
23. प्रदेश के किसानों के जलकर माफ करने का उल्लेख नहीं है।
24. जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा नगर में 132 के.व्ही.ए का सब स्टेशन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
25. लीलागर नदी किनारे एनीकटों में संग्रहित पानी का उपयोग करने हेतु विद्युत व्यवस्था किए जाने का उल्लेख नहीं है।
26. जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा नगर में बाईपास निर्माण का उल्लेख नहीं है।
27. जांजगीर–चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड में ग्राम पंडरिया से ढोरला तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
28. जांजगीर–चांपा जिले में चांपा वन मंडल के बलौदा परिक्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य में लगे मजदूरों की लंबित मजदूरी का भुगातान करने का उल्लेख नहीं है।
29. जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड स्थित शनीचरा बांध गहरीकरण का उल्लेख नहीं है।
30. जांजगीर–चांपा जिले में बलौदा विकासखंड स्थित आई.टी.आई. में शिक्षकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
31. जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड के ग्राम सोनादुला में लिलागर नदी से पुल तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

17. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. देवभोग में बेलात नाला जो 36 गांवों को जोड़ता है एवं सेन्दमुड़ा में तेलनदी पर पुल निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
2. एन एच 130 अभनपुर से देवभोग उड़ीसा सीमा तक चौड़ीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
3. सेन्दमुड़ा एवं पायलीखण्ड में अलेकजेंडर पत्थर एवं हीरा पत्थर को शासन स्तर पर सुरक्षित कर क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश एवं हमारे जिले में सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने एवं स्थानीय को प्राथमिकता देने का उल्लेख नहीं है।
5. गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लाक में ग्राम उरमाल के पास तेलनदी पर बड़े पुलिया का उल्लेख नहीं है।
6. गरियाबंद जिले के विकासखण्ड मैनपुर में शुलभ जलाशय जो क्षेत्र के सिंचाई के लिए अत्यंत आवश्यक है, का निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
7. गरियाबंद जिले के विकासखण्ड देवभोग जो उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है व पिछड़ा इलाका है वहां पर स्वास्थ्य संबंधी उचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
8. गरियाबंद जिले के विकासखण्ड मैनपुर एवं देवभोग महाविद्यालय में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।
9. गरियाबंद जिले के सुदूर अंचल विकासखण्ड मैनपुर व देवभोग में बिजली का हमेशा लो वोल्टेज रहता है इस क्षेत्र में 132 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।
10. गरियाबंद जिले में अनेक पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जैसे कांदाडोंगर देवस्थल, सिरिझरन, भाटीगढ़, पैरी उद्गम स्थल इन र्यटन स्थलों को शासन की ओर से विकास किये जाने का उल्लेख नहीं है।
11. गरियाबंद जिला वन सम्पदा जिला है जहां पर वर्तमान में बेशकीमती सागौन पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है वनों की सुरक्षा हेतु शासन स्तर पर टीम बनाकर कटार्ठ रोकने का उल्लेख नहीं है।

12. देवभोग चौक से उरमाल, अमलीपदर मार्ग ध्रुवागुड़ी तक चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
13. गरियाबंद जिले के विकासखण्ड मैनपुर ग्राम अमलीपदर सुखानदी पर बड़े पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
14. छुरा से रसेला होते हुये पीपरछेड़ी मार्ग का नागाबुड़ा तक चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
15. उरमाल एवं अमलीपदर हायर सेकेण्डरी स्कूल में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

18. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम बेलतरा में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
2. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम खमतराई स्थित डी.एल.एस. महाविद्यालय से पंचायत भवन तक रोड़ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
3. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के गतौरी से पौंसरा मुख्य सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
4. प्रदेश के युवाओं के रोजगार एवं कल्याण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. पुलिस कल्याण हेतु किसी कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।
6. महिला स्व सहायता समूह का सशक्तिकरण एवं कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
7. 2 वर्ष के लंबित धान के बोनस देने का कोई उल्लेख नहीं है।
8. धान का समर्थन मूल्य 2500/– रूपये करने का उल्लेख नहीं है।
9. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम बहतराई के तालाब का सौंदर्यीकरण व उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
10. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के पंचायत मोपका में गुलाब नगर में 600 मीटर सी. सी.रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।
11. बिलासपुर जिले के नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 51 के पठानपारा में 500 मीटर सी.सी.रोड निर्माण व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।
12. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा की पंचायत मोपका के रामकृष्ण नगर में 800 मीटर सी.सी. रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।
13. बिलासपुर जिले के नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 49 सोनगंगा कॉलोनी, अशोक नगर, विजयापुरम में सी.सी.रोड व नाली निर्माण का उल्लेख नहीं है।
14. बिलासपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 51 में 500 मीटर सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
15. बिलासपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 47 में अमृत मिशन के तहत पाईपलाईन विस्तार कार्य का उल्लेख नहीं है।

16. बिलासपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 50 जोरापारा तालाब का सौंदर्यीकरण व उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

17. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के पंचायत मोपका के वार्ड क्रमांक 12, 13 में गौरव पथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

18. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम लिंगियाडीह के पुरानी बस्ती में सीमेंट कांक्रीट रोड का उल्लेख नहीं है।

19. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम मोपका के हाईस्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

20. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम लिगिंयाडीह के हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

21. बिलासपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर को वृहत नगर निगम बनाने का उल्लेख नहीं है।

22. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम मंगला के कॉलोनियों में सीमेंट कॉक्रीट रोड व नाली निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

23. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम मंगला के हाईस्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

24. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम मंगला से शुभम विहार, दीनदयाल कॉलोनी एवं गंगानगर आदि में पाईप लाईन विस्तार कार्य का उल्लेख नहीं है।

25. बिलासपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र के कुबरीपारा वार्ड क्रमांक 49 स्थित तालाब के सौदर्यीकरण व उन्नयन कार्य का उल्लेख नहीं है।

26. बिलासपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 45 एवं 48 के चिंगराजपारा स्थित पुराना एवं नया तालाब के सौंदर्यीकरण व उन्नयन कार्य का उल्लेख नहीं है।

27. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम लिम्हा में सिंचाई हेतु बांध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

28. बिलासपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र चिंगराजपारा हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन व भवन निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

29. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम लखराम से सरवन देवरी तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं हैं।

30. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा के ग्राम गोदहवां से कछार मार्ग के डामरीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।

31. बिलासपुर जिले के विकासखंड कोटा के ग्राम कर्रा में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

32. बिलासपुर जिले के विकासखंड बिल्हा की ग्राम पंचायत खमतराई में डी.एल.एस.कॉलेज से पंचायत भवन तक रोड निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

19. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य,

किन्तु खेद है कि –

1 पैरी नदी को रूद्री बैराज से जोड़ा जाए ताकि भविष्य में पानी के लिए कोई समस्या न हो, जिसका उल्लेख नहीं है ।

2 धमतरी की बहुप्रतिक्षित मांग कोलियारी से बारवा रोड चौड़ीकरण स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3 शराबबंदी के वादे को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

4 राज्य के वन संसाधन खनिज संसाधन का सही ढंग से उपयोग करने का उल्लेख नहीं है।

5 आवारा मवेशियों की व्यवस्था का कोई उल्लेख नही है ।

6 धमतरी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज के संबंध में स्वीकृति प्रदान की जाए ।

7 धमतरी में औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ावा दें, ताकि लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सके ।

8 धमतरी में खेल मैदान को प्राथमिकता दें, ताकि खिलाड़ियों को परेशानी न हो ।

9 धमतरी में कुछ विषयों में पी.जी.डी. सुविधा नहीं है, स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

10 बेरोजगारी की समस्या इससे दूर नहीं होगी रोजगार के नई नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।

11 धमतरी की नगर पंचायत आमदी में कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, कृपया स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

12 धमतरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड करने का उल्लेख नहीं है।

20. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में तिल्दा–नेवरा में एक बाईपास रोड के निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
2. बलौदाबाजार जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
3. प्रदेश में समस्त कोटवार, रोजगार सहायक को नियमितिकरण कर सरकारी कर्मचारी घोषित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
4. गांव आंगनबाड़ी भवनों में कार्यरत मितानिनों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।
5. बलौदाबाजार जिला को राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा सेंटर बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
6. बड़ी इन्डस्ट्रीज़ में क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने हेतु कोई नियम निर्धारित किए जाने का उल्लेख नहीं है।
7. बालौदाबाजार जिले के इन्डस्ट्रियल एरिया हेतु खनिज संबंधी नये नियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
8. प्रदेश में प्रस्तावित बाईपास रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
9. प्रदेश में रॉयल्टी चोरी रोकने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
10. इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण रोकने के लिए किसी प्रकार की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
11. बेरोजगार युवाओं के कल्याण हेतु किसी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
12. प्रदेश में शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।
13. प्रदेश के उद्योगों में मजदूरों के हो रहे शोषण को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

21. श्रीमती इंदु बंजारे, सदस्य

किन्तु खेद है कि –

1. प्रदेश में बिजली बिल को आधा करने का उल्लेख नहीं है।
2. प्रदेश के किसानों को पिछले दो वर्षो के धान का बोनस दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
3. बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
4. जांजगीर–चांपा जिले में पलायन की समस्या रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
5. प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी किए जाने का उल्लेख नहीं है।
6. प्रदेश के सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
7. प्रदेश के धार्मिक स्थल शिवरीनारायण महोत्सव को फिर से प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
8. जांजगीर–चांपा जिले में उद्योगों से हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।